रजि सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1982/चैत्र 6, 1904
No. 117] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1982/CHAITRA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1982

का. आ. 183(अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मार्च, 1982 के 28वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त

की जा चुकी है) के उपबन्ध आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"कुड्डापा जिले के निम्नलिखित सीमाओं के अन्तर्गत कोडूर क्षेत्र :—

पूर्व में : नं. 9 कोडूर हिल तथा एक्सटेंशन
आर. एफ. छियावरम ग्राम तथा उपरापल्ली ग्राम ।

पश्चिम में : इरागुनटलाकोटा ग्राम नं. 7 टानुकोण्डा
आर. एफ. बुन्दुगुण्टापल्ली अगराहरम,
नं. 117, कोडीवेन्गामा भावी आर. एफ. ।

उत्तर में : ओबानापल्ली ग्राम, राघवाराजुपुरम ग्राम तथा
अनन्ताराजुपेट ग्राम ।

दक्षिण में : उपरापल्ली ग्राम तथा कोडीवेंगामा भावी आर. एफ.

निम्नलिखित सीमाओं के अन्तर्गत मंगमपेट क्षेत्र :—

पूर्व में : गोविन्दमपल्ली ग्राम तथा अनन्थाराजुपेटा ।

पश्चिम में : कोरलाकुण्टा ग्राम ।

उत्तर में : गोविन्दमपल्ली तथा मुकावरीपल्ली ग्राम ।

दक्षिण में : अन्थाराजुपेटा तथा कोरलाकुण्टा ग्राम ।

[संख्या एस-38013/9/82-एच. आई.]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1982

S.O. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th days of March, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

Kodur area bounded by :—

East : No. 9 Kodur Hill and Extension, R.F. Chiyyavaram village and Upparapalli village.

West : Erraguntlakota village, No. 7, Tanukonda R.F. Buduguntapalli Agraharam, No. 117 Kodivengamma Bhavi R.F.

North : Obanapalli village, Raghavarajupuram village and Anantarajupet village.

South : Upprapalli village and Kodivengamma Bhavi R.F.

Managmpet area bounded by :

East : Govindampalli village and Anantharajupeta.

West : Erranguntlakota village, No. 7, Tanukonda R.F. Buduguntapalli

North : Govindampalli and Mukhavaripalli village.

South : Anantharajupeta and Korlakunta village.

of Cuddapah District.

[No. S-38013|9|82-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1982